Peer Reviewed/ Refereed Journal

ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
CHETANA
Impact Factor SJIF=4.157

Received on 15th Nov. 2019, Revised on 18th Nov. 2019; Accepted 25th Nov. 2019

शोध–पत्र

अच्छे बुरे स्पर्श के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने हेतु नवीन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अध्ययन

* Dr Shipra Gupta
Post Doctoral Fellow, ICSSR, New Delhi
Email-shipragupta086@gmail.com, Mob.- 9461036868

मुख्य शब्द *- बाल यौन शोषण, बचपन, सोशल मीडिया आदि।*

पृष्ठभूमि

वर्तमान युग भविष्यवादी युग हैं। सभी भविष्य को हम जी रहे हैं, वहाँ बढ़ते अपराध कहीं न कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हो गया हैं मानव कों। अपनी लालसा व वासना की तृप्ति हेतु वह इतना गिर चुका हैं। बच्चे और बचपन एक ऐसा पक्ष हैं जिसे देखकर सभी आन्नदित हो उठते हैं परन्तु आज बच्चे और बचपन दोनों भी अपराध के काले साये सें अनछुए नहीं हैं। बाल अपराधों की संख्या दिनों–दिन बढ़ती जा रहीं हैं और यह समस्या बढ़ती जा रही हैं कि यदि बचपन ही सुदृढ़, सुरक्षित नहीं होगा तो भविष्य निर्माण की बात करना मात्र ढ़ोल की पोल न बन जाए।

बालकों के साथ बढ़ते अत्याचार व हिंसा में सबसे अधिक चिंता का विषय ''बाल यौन शोषण'' हैं, जो न केवल बचपन अपितु बच्चों को ऐसी पीड़ा दे जाता हैं जिससे वे जीवन भर नहीं उभर पाते। जब एक बच्चा ''बाल यौन शोषण'' का शिकार बनता हैं तो उसका एक प्रश्न अवश्य होता हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्युँ हुआ? .....आखिर क्युँ। लेकिन समाज, देश, कानून, न्याय यहाँ तक की अभिभावक जिनका प्रथम कर्त्तव्य बच्चे को सुरक्षित वातावरण देना था, मात्र मूक दर्शक बनकर जागरूकता की कमी व अनचाही बदनामी के कारण कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं।

प्रतिदिन अखबार, न्यूज चैनल्स व सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाँए सुनने व देखने को मिलती हैं। ''बाल यौन शोषण'' पर बात न करना, उसे नजरअंदाज करना शायद हमारी आदत बन चुकी हैं, परन्तु इसके आँकडे इतने चौकारें वाले हैं (जो कि मात्र दजै केसों के हैं, इसके अतिरिक्त अलिखित आँकडे भी होगें) कि वे जानकर हम इस भयावह स्थिति को समझ सकें। उपलब्ध आँकडे –

* महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2007 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देशीार में 53 प्रतिशत बच्चे चाइल्ड अब्युज का शिकार हो चुके हैं यानि हर दो में एक बच्चा।

इसी रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हुआ कि लड़कियों की तुलना में लडके अधिक बाल यौन शोषण का शिकार बनते है।

* शारीरिक शोषण के 88.6 प्रतिशत मामलों में अपराधी रिश्तेदार ही होते हैं।
* POCSO- Act (2012) की विभिन्न धाराओं में बाल यौन शोषण के अपराध हेतु कठोर सजा की प्रावधान था परन्तु बढ़ते मामलो को देखते हुए 19 जुलाई 2019 को बाल यौन शोषण के अपराध हेतु मृत्युदंड का प्रावधान किया गया।
* 15 जुलाई 2019 को समाचार पत्र में आई खबर के अनुसार सरकार द्वारा CSA के प्रति Zero tolerance Policy अपनाई गई परन्तु इसके बावजुद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही पिछले 6 महिनों में 729 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं अर्थात् प्रतिदिन 4 मामले।
* 13 अगस्त 2019 को राजस्थान पत्रिका के अंक में आया कि जयपुर जिले में पिछले साल की तुलना में दुगुनी वृद्धि हों गई हैं। जनवरी से जुलाई के बीच 88 से 170 तक मामले पँहुच चुके हैं।
* प्राप्त आँकडो के अनुसार 52 प्रतिशत लडके बाल यौन शोषण का शिकार होते हैं।

* साल 2015 में 15,000 मामले, 2016 में 36,000 मामले POCSO- Actके तहत दर्ज किए गए हैं। 2018 की तुलना में 2019 में भी लगभग 50प्रतिशत वृद्धि हुई हैं।
* विद्यालय में होने वाले दुर्व्यव्यहार के आँकडे उपलब्ध नहीं है परन्तु एक NGO द्वार किए गए सर्वे से यह ज्ञात होता हैं कि प्रत्येक 5 बच्चों मे से 1 बच्चा विद्यालय में यौन शोषण का शिकार होता हैं।
* बाल पोर्नोग्राफी, अश्लील फोटो व विडियो दिखाने के मामलो में भी पिछले कुछ दशकों में वृद्धि हुई हैं। पिछले वर्ष साढ़े चार करोड़ अश्लीन फोटो इन्टरनेट पर आए। साथ ही हैरानी की बात यह हैं कि इन मामलों में 81 प्रतिशत अपराधि महिलाएँ होती है।

उपर्युक्त आँकडे मात्र उदाहरण भर हैं, हकीकत इससे भी अधिक भयावह हैं। अतः बाल यौन शोषण एक विस्तृत सम्प्रत्यय हैं, जिसका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है –

- **बाल यौन शोषण**

बाल यौन शोषण का शाब्दिक अर्थ अपनी कुत्सित मानसिकता के चलते बालकों के साथ किया गया यौन दुर्व्यवहार बाल यौन शोषण कहलाता हैं, अर्थात् बालकों (0–16 वर्ष तक कें) साथ होने वाली लैंगिक अभद्रता।

बाल यौन शोषण के अन्तर्गत विभिन्न दुर्व्यवहार सम्मिलित हैं, जो निम्न प्रकार हैं –

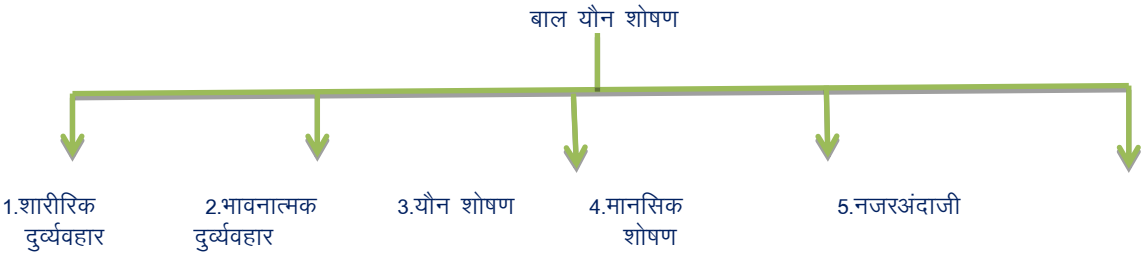

भारत के सन्दर्भ में दुर्व्यवहार :–

- नजरअंदाजी
- मानसिक दुर्व्यवहार
- शारीरिक दुर्व्यवहार
- शाब्दिक दुर्व्यवहार
- भावनात्मक दुर्व्यवहार
- लैंगिक दुर्व्यवहार (यौन उत्पीड़न, बलात्कार, जबरदस्ती, वैश्यावृति, पोर्नोग्राफी, लैंगिक भ्रमण आदि)
- बाल विवाह
- बाल मजदूरी
- कन्या भ्रूण हत्या
- स्त्री जननांग विच्छेदन

✓ बाल यौन शोषण का अपराधी एक मनोविकृति से ग्रस्त होता है जिसके कारण उसे मनोविज्ञान की भाषा में ''पीडोफिलिया'' कहा जाता है।

बच्चे आसान शिकार क्यों ?.....

- परिवारीक परिस्थितियाँ
- जल्दी विश्वास करने की प्रवृति

- जानने की इच्छा
- आज्ञा करना ही कर्त्तव्य मानना

बाल यौन शोषण के प्रभाव –

बाल यौन शौषण के प्रभाव को मुख्यतः निम्न भागों में बाँटा जाता हैं –

- शारीरिक प्रभाव
- लैंगिकता पर प्रभाव
- मनोवैज्ञानिक प्रभाव

मनोवैज्ञानिक प्रभाव –

बाल यौन शोषण बालक को आंतरिक रूप से प्रभावित करता हैं, जिसके कारण उसमें निम्न प्राकर के प्रभाव देखे जा सकते हैं :–

- ✓ भावनात्मक व व्यवहारात्मक क्रियाओं पर प्रभाव
- ✓ शैक्षिक व अधिगम पर प्रभाव
- ✓ व्यक्तित्व, अभिवृति, रूचि व अन्य व्यक्तिगत परस्पर संबधो पर प्रभाव।

ये प्रभाव दीर्घ काल तक बने रहते हैं, बच्चों को इनसे उभारने में माता–पिता व चिकित्सक की धैर्य सबसे अधिक आवश्यक होती हैं।

बचाव हेतु सुरक्षा उपाय –

बाल यौन शोषण से बच्चों को सुरक्षित करने का एकमात्र व प्रभावी उपाय ''जागरूकता'' ही हैं।

अभिभावकों की भूमिका –

- CSA के लक्षणों, चिन्हों को जानने की क्षमता का विकास होना चाहिए।
- अभिभावक–बालक संबंध सुदृढ़ हो जिसके चलते बच्चे विश्वास करके आपसे ऐसा कुछ होने पर बिना झिझक के शेयर कर सकें।
- बच्चों पर विश्वास बनाएँ रखना व उनका सहयोग करने की भावना।
- POCSO- Act व अन्य विशेष कानूनी कार्यवाही की जानकारी के प्रति जागरूकता।
- अच्छे व बुरे स्पर्श के प्रति सहज वातावरण बनाकर बच्चों से बात करने की क्षमता।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन कार्य का उद्देश्य अभिभावकों की पोक्सो एक्ट, अच्छे स्पर्श व बुरे स्पर्श तथा बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना हैं।

परिकल्पनाएँ

- बाल यौन शोषण के प्रति अभिभावकों की जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक का प्रभाव पड़ता हैं।

शोध प्रतिविधियाँ

- शोध विधि तंत्र – सर्वेक्षण व प्रायोगिक विधि तथा साक्षात्कार विधि
- जनसंख्या व न्यादर्श –

जनसंख्या :–जयपुर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालको के अभिभावक।

न्यादर्श :– चयनित चार सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग के विद्यार्थियों के अध्यापक।

- उपकारण व तकनीकें –
  - पूर्व परीक्षण हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली
  - स्वसंरचित जागरूकता कार्यक्रम (नुक्कड़ नाटक, पीपीटी प्रस्तुतीकरण व सेमीनार)
  - पश्च परीक्षण हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली
- प्रदत्त संचयन तथा विश्लेषण की प्रविधिः–

शोध कार्य हेतु पहले पूर्व परीक्षण लिया गया उसके बाद जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अंत में पश्च परीक्षण की प्रश्नावली भरवाई गई। प्राप्त प्रदतों का विश्लेषण करने हेतु प्रतिशतता का प्रयोग किया गया हैं।

परीणाम –

प्राप्त परीणामों को सारणीबद्ध करके प्रतिशतता के द्वारा उनका विश्लेषण करके निम्न परीणाम प्राप्त हुएः–

पूर्व परीक्षण द्वारा ज्ञात जागरूकता प्रतिशत = 49.8 प्रतिशत

पश्च परीक्षण द्वारा ज्ञात जागरूकता प्रतिशत = 78.96 प्रतिशत

प्रथम जागरूकता कार्यक्रम (नुक्कड़ नाटक) की प्रभावशीलता = 43 प्रतिशत

अतः यह स्पष्ट होता है कि –

- बाल यौन शोषण के प्रति अभिभावकों की जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक का सकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं।

यह उपर्युक्त परीणामों से यह कहा जा सकता है कि अभिभावकों की बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता करने हेतु नुक्कड नाटक का आयोजन किया जाना चाहिए।

- **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1.https:\\www.google.com
2.https:\\m.aajtak.in\parenting tips in hindi
3.www.wikipedia.com
4.www.hindikiduniya.com
5.https:\\hindioneindia.com
6.rajasthanpatrika.com
7.navbharattimes.indiatimes.com
8.www.slideshare.com
9.researchgate.com
10.https:\\sodhganga.inflibnet.ac.in

**** Corresponding Author:***
Dr Shipra Gupta
Post Doctoral Fellow, ICSSR, New Delhi
Email-shipragupta086@gmail.com, Mob.- 9461036868